कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका/पत्र संख्या– 1671 कृ0, पटना, दिनांक 27-03-2020

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी उप पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय :– कोविड–1 (COVID-19) महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक–डाउन के मध्य कृषि क्षेत्र में उर्वरक कीटनाशी, बीज आपूर्ति एवं विक्री कार्यो में छूट के सम्बन्ध में।

प्रसंग– 1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का शुद्धि पत्र सं0–160 (HS) 24.03.2020
2. भारत सरकार गृह मंत्रालय का पत्रांक–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक–25.03.20
3. भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का पत्रांक–21-4/2020FM दिनांक–26.03.20

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संवध मे स्वस्थ विभाग, बिहार सरकार आदेश सं0–115 (एच0एस0) दिनांक–22.03.2020 एवं इसके शुद्धि पत्र सं0–160 (HS) 24.03.2020 आदेश की कंड़िका–3 में वर्णित कुल बारह प्रतिष्ठानों/सेवाओं के अतिरिक्त कंडिका–03 के (xii) के रूप में निम्न प्रकार जोड़ा गया है।

उक्त विन्दुओं के अन्तर्गत वर्तमान में गन्ने की बुवाई के साथ जायद में मूँग, मक्का, मूँगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि बुबाई के साथ–साथ रबी फसलों की कटाई यथा–गेहूँ की कटाई एवं कृषि के अन्य महत्वपूर्ण सामयिक कार्य चल रहे है। उक्त कार्यो के निष्पादन हेतु सरकार के प्रासंगिक पत्रों द्वारा दी गई छूट निम्न प्रकार है:–

1. उर्वरक, कृषि रसायन (कीटनाशी), बीज के बिक्री केन्द्र (थोक/फुटकर) पूर्व की भॉति खुलेगें तथा निर्माण एवं आपूर्ति (सडक मार्ग/रेल) संचालित रहेगा। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिक।
2. रबी फसलों की कटाई में होने वाले कम्बाईन हारवेस्टर तथा कृषि क्षेत्र मे प्रयुक्त श्रमिक।
3. बीज विधायन संयत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक।

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,
27.03.2020
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1671 दिनांक–27-03-2020

प्रतिलिपि– सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी राज्य प्रबंधक उर्वरक विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता बिहार राज्य/सभी बीज आपूर्तिकर्ता/सभी कीटनाशी विनिर्माता एवं विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

27.03.2020
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।